# नीलक्रांति योजना

नीलक्रांति योजनांतर्गत क्रियान्वित मत्स्य पालन की योजनाएं ।

## पुनः परिसंचरणीय जलकृषि की प्रणाली

योजना अंतर्गत RAS की स्थापना हेतु हितग्राही को स्वयं की भूमि पर 8 टैंक 90 क्यूबिक मीटर (7.65×7.65×1.5 मीटर) क्षमता के निर्मित कराने होंगे, जिसमें पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। प्रत्येक टैंक से 5 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। RAS की निर्माण लागत रू.50.00 लाख है।

योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राही पात्र होंगे,सामान्य वर्ग के हितग्राही को 40 प्रतिशत एंव अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राही को 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। भूमि के दस्तावेज –नकशा, खसरा, निर्माण कार्य तकनीकी अमले की देख–रेख में होगा।

## सर्कुलर हैचरी निर्माण–

सर्कुलर हैचरी की स्थापना हितग्राही स्वयं की 2.00 हैक्टर भूमि पर (जिसकी उत्पादन क्षमता 100 लाख फ्राई प्रति वर्ष होना चाहिए) इकाई स्थापना लागत रू. 25.00 लाख है। हैचरी में ब्रुडर पोण्ड, संवर्धन पोण्ड, ओवर हेड टेंक, जल एवं विद्युत की आपूर्ति होना आवश्यक है।

## मत्स्यबीज सवंर्धन जलक्षेत्र निर्माण एवं इनपुट कास्ट –

एक हैक्टर जलक्षेत्र में मत्स्यबीज संवर्धन इकाई के निर्माण पर रू. 6.00 लाख योजना लागत है। अधिकतम 2.00 हैक्टर तक के लिए अनुदान की पात्रता होगी। एक हैक्टर मत्स्यबीज सवंर्धन क्षेत्र निर्माण पश्चात् मत्स्बीज संवर्धन हेतु रू. 1.50 लाख इनपुट कॉस्ट का प्रावधान है।

## केज/पेन कल्चर–

योजना अंतर्गत जलाशय में केज/पेन के निर्माण एवं स्थापना पर केवल प्रथम उपज हेतु (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, दवाईयॉ, परिवहन) रू. 3.00 लाख प्रति केज का व्यय होगा।

केज/पेन स्थापना हेतु समिति/समूह/हितग्राही को मत्स्य पालन हेतु जलाशय पट्टे पर आवंटित होना चाहिए। एक जलाशय में 4,6,12,24 आवश्यकतानुसार केज लगाए जा सकते हैं

## स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण–

योजना अंतर्गत स्वयं की भूमि में 1 हैक्टर का तालाब निर्माण कराने पर रूपये 7.00 लाख का व्यय होगा। योजना अंतर्गत किसी भी मत्स्य कृषक को न्यूनतम 0.5 एवं अधिकतम 2.00 हैक्टर तक के तालाब निर्माण पर अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उक्त तालाब निर्माण कराने हेतु 3.50 लाख के बैंक ऋण की व्यवस्था योजना अंतर्गत की जाती है एंव मत्स्य कृषक को सामान्य वर्ग के हितग्राही को 40 प्रतिशत एंव अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राही को 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।

**फिश फीड मिल की स्थापना–**

योजना अंतर्गत 1 से 5 क्विंटल प्रति दिन उत्पादन क्षमता की फिश फीड मिल की स्थापना पर रू. 10.00 लाख का खर्च आता है। 6–10 टन प्रति घण्टे या उससे अधिक उत्पादन क्षमता हेतु लागत के वास्तविक मूल्य के आधार पर अनुदान देय होगा। योजना में सभी वर्ग के मत्स्य कृषक पात्र होंगे।

**बर्फ सयंत्र– आइस प्लान्ट की स्थापना–**

योजना अंतर्गत हितग्राही को स्वयं की भूमि पर 20 टन का बर्फ संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज के विकास पर 2.5 लाख/टन की स्थापना पर रू. 50.00 लाख का व्यय आता है। सभी वर्ग के मत्स्य कृषक पात्र होंगे।

**मछली की फुटकर दुकान–**

योजना अंतर्गत मछली की फुटकर दुकान (100 वर्गफिट) मय मछली स्टोरेज एवं डिसप्ले केबिन की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख का व्यय अनुमानित है। अ.जा/अ.ज.जा. /महिला/बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता।

**आटो रिक्शा विथ आइस बॉक्स–**

योजना अंतर्गत आटो रिक्शा विथ आइस बॉक्स हेतु रू. 2.00 लाख का खर्च आता है।

मत्स्य उत्पादन/मत्स्य व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता। मछुआ सहकारी समिति/समूह के सदस्य जो कि मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हें। मछुआ सहकारी समिति को

जलाशय/तालाब पट्टे पर आवंटित हो अथवा विभागीय जलाशय जो मत्स्याखेट हेतु आवंटित है। हितग्राही को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होना आवश्यक है। हितग्राही को मत्स्य व्यवसाय का ज्ञान आवश्यक है।

**मोटर साइकिल विथ आइस बॉक्स–**

योजना अंतर्गत मोटर साइकिल विथ आइस बॉक्स हेतु रू. 60,000/– का खर्च आता है।

मत्स्य उत्पादन /मत्स्य व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता। मछुआ सहकारी समिति/समूह के सदस्य जो कि मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हों। मदुआ सहकारी समिति को जलाशय/तालाब पट्टे पर आवंटित हों अथवा विभागीय जलाशय जो मत्स्याखेट हेतु आवंटित है। हितग्राही को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होना आवश्यक है। हितग्राही को मत्स्य व्यवसाय का ज्ञान आवश्यक है।

**विभागीय योजना निम्नानुसारः–**

01. **मत्स्य पालन प्रसार योजना :–** इस योजना अतंर्गत राज्य में सभी वर्ग के मत्स्य पालकों कों लम्बी अवधि तक तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन करने पर रूपये 15000/– तक अनुदान सहायता दी जाती है।

02. **मछुआ सहकारिता :–** मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सभी वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को मदली पालन हेतु उपकरण एंव अन्य प्रयोजन यथा,तालाब की पट्टा राशि,मत्स्यबीज क्रय,नाव–जाल क्रय इत्यादि हेतु 1.50 लाख का अनुदान पात्रता अनुसार दिया जाता है।

03. **शिक्षण प्रशिक्षण :–** मत्स्योद्योग विभाग द्वारा मत्स्यपालन का 05 दिवस प्रशिक्षण एंव 02 दिवस अध्ययन भ्रमण योजनांतर्गत सभी श्रेणी के मछुआरारों को मछली पालन की तकनीक एंव मछली पकडने,जाल बुनने,सुधारने एंव नाव चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सदस्यो का चयन जनपंद/जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित मछुआरो को जिलें में स्थित विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र/सह जलाशय पर सैद्वांतिक एंव प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है।प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का वास्तवीक किराया एंव रूपये 150/–प्रतिदिन प्रशिक्षण वृत्ति मय क्षतिपूर्ति भत्ते के प्रदान की जाती है।

**उप संचालक मत्स्योद्योग**
**जिला सिवनी**